Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 64 /2014

Md. Ishaque & Ors.....Appellant

Versus

Ramdhani Nai & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	17.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मनिहारी, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–69/2013–14 में दिनांक–10.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उत्तरवादी को सुना। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी लंबे समय से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। सुनवाई की तिथि को भी अनुपस्थित रहे। फलतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन का अवलोकन किया जिसके माध्यम से इनका कहना है कि मौजा–भगवानपुर, खाता–707, खेसरा 414 एवं 798, रकवा–2.15 एकड़ विवादित भूमि के संबंध में उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया था, जिसमें उनका दावा है कि रकवा 6.87 एकड़ भूमि इनके पूर्वज नीमचन्द्र नाई के नाम खतियान दर्ज है। कालांतर में प्रश्नगत भूमि गंगाशिकस्त हो जाने के कारण बिहार सरकार के नाम प्रविष्ट हो गया, जिसके विरूद्ध T.S. सं0–3938/1964 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–09.08.1999 को उनके पक्ष में डिग्री पारित की गई। इस दौरान उक्त भूमि बिहार सरकार द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में बंदोबस्त कर दी गई। उक्त भूमि पर अपीलाथियों का दखल कब्जा है। बंदोबस्ती वाद सं0–18/1971–72 द्वारा इनके पूर्वज ग्यासउद्दीन के नाम दिनांक–17.12.1971 को बंदाबस्ती परवाना निर्गत है। जिसके द्वारा भू	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 17.04.2023	लगान भुगतान किया जा रहा था। ग्यासउद्दीन के मृत्यु पश्चात क्रमशः अपीलार्थी विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है और भू लगान भुगतान कर रहे हैं। भू मापी वाद सं0–04/2012–13 मं अंचल अमीन द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा प्रतिवेदित है। रामधनी नाई वगैरह द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए उक्त टाईटल सूट दायर किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी के पक्ष में बंदोबस्त भूमि 2.15 एकड़ भूमि उत्तरवादियों की कभी नहीं रही है, जो इन्हें बन्दोबस्ती से प्राप्त है। उत्तरवादीगण उक्त भूमि पर कभी भी दखलकार नहीं रहे हैं बल्कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थियों का दखल, अधिकार एवं स्वत्व स्थापित है। उल्लिखित टी0एस0 में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया था। निम्न न्यायालय द्वारा इसकी अनदेखी करते हुए आदेश पारित कर दिया गया है, जो सही नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने तथा तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। वर्णित भूमि का कुल रकवा 6.87 एकड़ भूमि निमिचंद नाई के नाम से दर्ज है, जिसके द्वारा भू लगान भुगतान किया जा रहा है। आर0एस0 सर्वे के समय 4.72 एकड़ भूमि उनके वारिशान रामधनी नाई एवं मेधू नाई के नाम से दर्ज हुआ तथा शेष 2.15 एकड़ भूमि गंगशिकस्त हो जाने के कारण बिहार सरकार के नाम से दर्ज हुई, जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मुसिंफ, कटिहार के समक्ष T.S. सं0–3938/1964 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.08.1999 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक–25.11.1999 को डिग्री निर्गत किया गया, जिसकी जमाबंदी इनके पक्ष में दर्ज है। उक्त आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया। उत्तरवादीगण प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण	

Web Copy. Not Official.

		दखलकार है। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरांत सही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील क्रमशः	
	लगातार 17.04.2023	अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी पिछले कई सुनवाई की तिथि में अनुपस्थित रहे है। जिस कारण उत्तरवादी के अनुरोध पर सुनवाई की गई, परन्तु अपीलार्थी की अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में किसी निर्णय पर पहुँचना कठिन है। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी को इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.